**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1098**

**22 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**हस्तशिल्प उद्योग**

**1098. श्रीमती केशरी देवी पटेलः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) वस्त्र और हथकरघा/हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार की वस्त्र और हथकरघा/हस्तशिल्प उद्योगों का पुनरुद्धार करने की कोई ठोस योजना है; और

(ग) इन उद्योगों में संलग्न कारीगरों/श्रमिकों के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वस्त्र मंत्री**

**(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

**(क) से (ग)**: भारतीय वस्त्र उद्योग विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता और निर्यातक है। भारत के कुल निर्यात में वस्त्र और क्लोदिंग (टीएंडसी) की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 13% रही है। भारत की वस्त्र और अपैरल में वैश्विक व्यापार के 5% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा, भारतीय वस्त्र उद्योग के कृषि और देश की संस्कृति तथा परंपराओं से अंतरंग रूप से जुड़ा होने की वजह से घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों में बहुमुखी प्रसार हुआ है। वस्त्र उद्योग मूल्य के संदर्भ में उद्योग के आउटपुट का 7% और भारत की जीडीपी का 2% तथा देश की निर्यात आय का 15% योगदान करता है। इस प्रकार वस्त्र और हथकरघा/हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट की कोई ठोस सूचना नहीं है।

सरकार वस्त्र उद्योग की सहायता और विकास के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें और योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं और पहलें जो प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना के निर्माण, कौशल विकास तथा वस्त्र क्षेत्र में सेक्टोरल विकास को बढ़ावा देती हैं, देश में वस्त्र निर्माण के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन करती हैं और समर्थकारी स्थितियां उत्पन्न करती हैं।

देश में हथकरघा और हस्तशिल्प सहित वस्त्र क्षेत्र के विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए सरकार संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस), विद्युतकरघा क्षेत्र विकास योजना (पावरटेक्स), तकनीकी वस्त्र योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एसआईटीपी के अंतर्गत अपैरल विनिर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान योजना (एसएजीएएम), समर्थ-वस्त्र

क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस), जूट (आईकेयर-उन्नत कृषि और विकसित रेटिंग प्रक्रिया) एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), सिल्क समग्र, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस), राज्य और केंद्रीय कर तथा उप-कर की छूट (आरओएससीटीएल) आदि जैसी विभिन्न नीतिगत पहलें और योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। सरकार ने विशेष रूप से परिधान तथा मेड-अप्स में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से वस्त्र क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज भी अनुमोदित किया है।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए सरकार इन क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हथकरघा क्षेत्र जो एक असंगठित क्षेत्र है, के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्लयूएस), व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना और प्राथमिक इनपुट के लिए यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस), करघे और उपस्कर, डिजाइन विकास अवसंरचना विकास, हथकरघा उत्पादों के विपणन आदि के अंतर्गत विकास सहायता प्रदान की जाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए देश में हस्तशिल्प कलस्टरों को सरकार डिजाइन, प्रौद्योगिकी उननयन, अवसंरचना विकास, अनुसंधान और विकास, विपणन सहायता आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना क्रियान्वित कर रही है।

****